मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980

(1980 का अधिनियम संख्यांक 64)

[27 दिसम्बर, 1980]

उपलभ्य आधारिक संरचना का उपयोग सुनिश्चित करने, मोटर गाड़ी उद्योग के आधुनिकीकरण, दुर्लभ ईंधन का अधिक मितव्ययितापूर्ण उपयोग करने और मोटर यानों के अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, जो देश की अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, मारुति लिमिटेड के उपक्रमों के अर्जन और अंतरण के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

मारुति लिमिटेड, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के, अर्थात् आटोमोबाइल के, विनिर्माण और उत्पादन में लगी हुई थी ;

और कंपनी के परिसमापन के लिए एक आदेश किया गया है तथा उसके परिनिर्धारण के लिए कार्यवाहियां पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में लम्बित हैं ;

और कंपनी के उपक्रम कार्य नहीं कर रहे हैं ;

और कंपनी के उपक्रमों की उत्पादन सुविधाओं और उपस्करों का उपयोग करना आवश्यक है जिससे मोटर यानों के उत्पादन में वृद्धि की जा सके और जनसाधारण के हित में नियोजन प्रदान किया जा सके ;

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 है ।

(2) यह 13 अक्तूबर, 1980 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से 13 अक्तूबर, 1980 अभिप्रेत है ;

(ख) "आयुक्त" से धारा 15 के अधीन नियुक्त संदाय आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ग) "कंपनी" से मारुति लिमिटेड अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ में एक कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पालम गुड़गांव रोड, गुड़गांव (हरियाणा) में है ;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के सम्बन्ध में "विनिर्दिष्ट तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार उस उपबन्ध के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी ;

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

कंपनी के उपक्रमों का अर्जन और अंतरण

3. कंपनी के उपक्रमों का केन्द्रीय सरकार को अंतरण और उनका उसमें निहित होना—नियत दिन को कंपनी के उपक्रम और उसके उपक्रमों के सम्बन्ध में कंपनी के अधिकार, हक और हित, इस अधिनियम के आधार पर, केन्द्रीय सरकार को अंतरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

4. निहित होने का साधारण प्रभाव—(1) कंपनी के उपक्रमों के बारे में समझा जाएगा कि उनके अन्तर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाधृतियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार और सभी स्थावर तथा जंगम सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, कर्मशालाएं, स्टोर, उपकरण, मशीनरी और उपस्कर, रोकड़ बाकी, हाथ की रोकड़, आरक्षित निधियां, विनिधान, बही ऋण और ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में, चाहे भारत में या भारत के बाहर, थे और तत्संबंधी सभी लेखा बहियां, रजिस्टर और अन्य सभी दस्तावेजें हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हैं ।

(2) यथापूर्वोक्त सभी सम्पत्तियां, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई हैं, ऐसे निहित होने के बल पर, किसी भी न्यास, बाध्यता, बंधक, भार, धारणाधिकार और उन्हें प्रभावित करने वाले सभी अन्य विल्लंगमों से मुक्त और उन्मोचित हो जाएंगी और किसी न्यायालय की ऐसी कुर्की, व्यादेश या डिक्री या आदेश की बाबत, जो ऐसी सम्पत्तियों के उपयोग को किसी भी रीति से निर्बन्धित करता है, यह समझा जाएगा कि वह वापस ले लिया गया है ।

(3) किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकदार और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा ।

(4) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का बन्धकदार या ऐसी किसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकमों में से बन्धक धन या अन्य शोध्य रकमों के पूर्णत: या भागत: संदाय के लिए अपने अधिकारों और हितों के अनुसार दावा करने का हकदार होगा किन्तु ऐसा कोई बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित किसी ऐसी सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा जो केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है ।

(5) ऐसे किसी उपक्रम के सम्बन्ध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, कंपनी को नियत दिन से पूर्व किसी समय अनुदत्त और उस दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत, ऐसे उपक्रम के सम्बन्ध में और उसके प्रयोजनों के लिए ऐसे दिन को और उसके पश्चात् अपने प्रकट शब्दानुसार प्रवृत्त बनी रहेगी और ऐसे उपक्रम के धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित होने की तारीख से ही, उस सरकारी कंपनी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत में उसी प्रकार प्रतिस्थापित हो गई है मानो ऐसी अनुज्ञप्ति या अन्य लिखत उस सरकारी कंपनी को अनुदत्त की गई हो और ऐसी सरकारी कंपनी उसे उस शेष अवधि के लिए धारण करेगी जिसके लिए वह कंपनी उसे उसके निबन्धनों के अनुसार धारण करती ।

(6) यदि नियत दिन को, किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है, कंपनी द्वारा संस्थित या उसके विरुद्ध लाया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, लम्बित है तो कंपनी के उपक्रमों के अंतरण या इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट की किसी बात के कारण उसका उपशमन नहीं होगा, वह बन्द नहीं होगी या उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध, या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित है वहां उस सरकारी कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, चलाई जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी ।

5. पूर्व दायित्वों के लिए केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी का दायी न होना—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में कंपनी का प्रत्येक दायित्व, कंपनी का दायित्व होगा और उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा न कि केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं, वहां उस सरकारी कंपनी के विरुद्ध ।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि,—

(क) इस धारा में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत कंपनी का कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं, वहां ऐसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ;

(ख) कंपनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण का कोई अधिनिर्णय, डिक्री या आदेश, जो नियत दिन के पूर्व उत्पन्न हुए किसी ऐसे मामले, दावे या विवाद के बारे में नियत दिन को या उसके पश्चात् पारित किया गया है, केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं, वहां ऐसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(ग) उस समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए नियत दिन के पूर्व उपगत कंपनी का कोई दायित्व, केन्द्रीय सरकार या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित होने के लिए निदेशित हैं, वहां किसी सरकारी कंपनी के विरुद्ध, प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

6. कंपनी के उपक्रमों के किसी सरकारी कंपनी में निहित होने का निदेश देने की केन्द्रीय सरकारी की शक्ति—(1) धारा 3 और धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि कंपनी के उपक्रम और कंपनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, केन्द्रीय सरकार में निहित बने रहने के बजाय, या तो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या ऐसी किसी पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती तारीख को (जो नियत दिन से पहले की तारीख न हो), जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे ।

(2) जहां कंपनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित उपधारा (1) के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित हो जाते हैं वहां वह सरकारी कंपनी ऐसे निहित होने की तारीख से ही, ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में स्वामी समझी जाएगी और ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के समस्त अधिकार और दायित्व, ऐसे निहित होने की तारीख से ही, उस सरकारी कंपनी के क्रमश: अधिकार और दायित्व समझे जाएंगे ।

अध्याय 3

रकमों का संदाय

7. रकम का संदाय—केन्द्रीय सरकार कंपनी के उपक्रमों का और कंपनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में कंपनी के अधिकार, हक तथा हित का धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार को अंतरण और उन्हें उसमें निहित करने के लिए कंपनी को चार करोड़, चौंतीस लाख रुपए की रकम नकद और अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट रीति से, देगी ।

8. अतिरिक्त रकम का संदाय—(1) धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम पर, चार प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज नियत दिन से प्रारम्भ होकर उस तारीख को, जिसको ऐसी रकम का संदाय केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को किया जाता है, समाप्त होने वाली अवधि के लिए दिया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अवधारित रकम कंपनी को उस रकम के अतिरिक्त देगी जो धारा 7 में विनिर्दिष्ट है ।

(3) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कंपनी के उन उपक्रमों के सम्बन्ध में, जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, उसके दायित्वों का उन्मोचन कंपनी के लेनदारों के अधिकारों और हितों के अनुसार, धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम में से और उपधारा (1) के अधीन अवधारित रकम में से भी, किया जाएगा ।

अध्याय 4

कंपनी के उपक्रमों का प्रबंध, आदि

9. कंपनी के उपक्रमों का प्रबन्ध, आदि—(1) कंपनी के उन उपक्रमों के, जिनके सम्बन्ध में अधिकार, हक और हित धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण और प्रबन्ध,—

(क) जहां केन्द्रीय सरकार ने धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश दिया है, वहां ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट सरकारी कंपनी में निहित होगा, या

(ख) जहां केन्द्रीय सरकार ने ऐसा कोई निदेश नहीं दिया है, वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन नियुक्त एक या अधिक अभिरक्षकों में निहित होगा,

और तब, यथास्थिति, इस प्रकार विनिर्दिष्ट सरकारी कंपनी या इस प्रकार नियुक्त अभिरक्षक सभी अन्य व्यक्तियों का अपवर्जन करते हुए, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य करने का हकदार होगा या होंगे जिन शक्तियों का प्रयोग और जिन कार्यों को अपने उपक्रमों के सम्बन्ध में करने के लिए कंपनी प्राधिकृत थी ।

(2) केन्द्रीय सरकार कंपनी के उन उपक्रमों के लिए जिनके संबंध में धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन उसने कोई निदेश नहीं किया है, एक या अधिक व्यक्तियों को या किसी सरकारी कंपनी को अभिरक्षक या अभिरक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

10. कंपनी के उपक्रमों तथा उससे संबंधित दस्तावेजों के कब्जे का परिदान करने का कर्तव्य—(1) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के या उस समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कंपनी का शासकीय समापक या ऐसा अन्य कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या अभिरक्षा में या जिसके नियंत्रण के अधीन कंपनी के उपक्रम या उसका कोई भाग है, कंपनी के उपक्रमों या उसके किसी भाग का कब्जा तुरन्त केन्द्रीय सरकार को या जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित हैं, वहां उस कंपनी को, परिदत्त करेगा ।

(2) कंपनी के उपक्रमों का प्रबन्ध किसी सरकारी कंपनी में निहित होने पर या अभिरक्षक या अभिरक्षकों की नियुक्ति पर नियत दिन को कंपनी का शासकीय समापक या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे या अभिरक्षा में या जिसके नियंत्रण के अधीन, ऐसे निहित होने या नियुक्ति के ठीक पूर्व कंपनी के उपक्रमों से सम्बन्धित कोई बहियां, दस्तावेजें या कागज-पत्र हैं, उक्त बहियों, दस्तावेजों या अन्य कागज-पत्रों को सरकारी कंपनी या अभिरक्षक या अभिरक्षकों को या ऐसे व्यक्ति को जिसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, परिदत्त करने के लिए बाध्य होगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार उन उपक्रमों का कब्जा लेने के लिए, जो धारा 3 के अधीन उसमें निहित हो गए हैं, सभी आवश्यक कदम उठा या उठवा सकेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, सरकारी कंपनी या अभिरक्षक या अभिरक्षकों को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह मामले की परिस्थितियों में वांछनीय समझे और ऐसी सरकारी कंपनी या अभिरक्षक भी, यदि वे ऐसा करना आवश्यक समझे तो, केन्द्रीय सरकार को किसी भी समय उस रीति के बारे में जिसमें कंपनी के उपक्रमों का प्रबन्ध उनके द्वारा संचालित किया जाएगा या ऐसे किसी अन्य विषय के बारे में जो, ऐसे प्रबन्ध के दौरान उत्पन्न हो, अनुदेश देने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

(5) अभिरक्षक कंपनी के उपक्रमों की निधियों में से ऐसे पारिश्रमिक ले सकेगा/सकेंगे जो केन्द्रीय सरकार नियत करे और केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा/करेंगे ।

11. विशिष्टियां देने का कर्तव्य—(1) कंपनी ऐसी अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अनुज्ञात करे उस सरकार को या सरकारी कंपनी को उन उपक्रमों के सम्बन्ध में जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी में निहित हो गए हैं, नियत दिन को कंपनी की सभी सम्पत्तियों और आस्तियों की पूर्ण तालिका देगी ।

(2) शासकीय समापक, उपधारा (1) के अधीन कंपनी की उतनी बाध्यताओं का जितनी का सम्बन्ध कंपनी के शासकीय समापक के कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में की कंपनी की सम्पत्तियों और आस्तियों से है, उन्मोचन करेगा ।

12. लेखा और लेखापरीक्षा—कंपनी के उपक्रमों के एक या अधिक अभिरक्षक, कंपनी के उपक्रमों का लेखा ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए रखेंगे जो विहित की जाएं और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबन्ध इस प्रकार रखे गए लेखा की लेखापरीक्षा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी कंपनी के लेखा की लेखापरीक्षा को लागू होते हैं ।

अध्याय 5

कंपनी के कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

13. कुछ कर्मचारियों के नियोजन का जारी रहना—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी के उपक्रमों में से किसी उपक्रम में नियोजित रहा है,—

(क) नियत दिन से ही, केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी हो जाएगा ;

(ख) जहां कंपनी के उपक्रम धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन किसी सरकारी कंपनी में निहित किए जाने के लिए निदेशित हैं वहां, ऐसे निहित होने की तारीख से ही ऐसी कंपनी का कर्मचारी हो जाएगा,

और, पेंशन, उपदान और अन्य बातों के बारे में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी के अधीन वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद या सेवा धारण करेगा जो उसे उस स्थिति में अनुज्ञेय होते यदि ऐसा निधान न हुआ होता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की अन्य शर्तें, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर देती है ।

(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के उपक्रमों में नियोजित किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति की सेवाओं का, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी को अन्तरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण ग्रहण नहीं करेगा ।

(3) जहां सेवा की किसी संविदा के निबन्धनों के अधीन या अन्यथा कोई व्यक्ति, जिसकी सेवाएं इस अधिनियम के उपबन्धों के कारण केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कंपनी को अन्तरित हो जाती हैं, वेतन या मजदूरी या न ली गई किसी छुट्टी के लिए किसी संदाय के या किसी अन्य संदाय के, जो उपदान या पेंशन के संदाय के रूप में नहीं है, बकाया के लिए हकदार है, वहां ऐसा व्यक्ति अपने दावे को कंपनी के विरुद्ध, न कि केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी के विरुद्ध, प्रवर्तित कर सकेगा ।

14. भविष्य निधि तथा अन्य निधियां—(1) जहां कंपनी ने कंपनी के उपक्रमों में से किसी उपक्रम में नियोजित व्यक्तियों के फायदे के लिए कोई भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि या कल्याण निधि या अन्य निधि स्थापित की है वहां ऐसे अधिकारियों या कर्मचारियों से, जिनकी सेवाएं, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्तरित हो गई है, संबंधित धनराशियां, ऐसी भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि में, नियत दिन को जमा धनराशियों में से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगी ।

(2) उन धनराशियों के सम्बन्ध में, जो उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी को अन्तरित हो जाती हैं, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा ऐसी रीति से कार्रवाई की जाएगी जो विहित की जाए ।

अध्याय 6

संदाय आयुक्त

15. संदाय आयुक्त की नियुक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, धारा 7 और धारा 8 के अधीन कम्पनी को संदेय रकमों के संवितरण के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक संदाय आयुक्त नियुक्त करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार आयुक्त की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह ठीक समझे और तब आयुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को भी प्राधिकृत कर सकेगा और भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(3) कोई व्यक्ति, जो आयुक्त द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया गया है, उन शक्तियों का प्रयोग उसी रीति से कर सकेगा और उनका वही प्रभाव होगा मानो वे शक्तियां उस व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्षत: प्रदान की गई हों, प्राधिकार के रूप में प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त आयुक्त और अन्य व्यक्तियों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से चुकाए जाएंगे ।

16. केन्द्रीय सरकार द्वारा आयुक्त को संदाय—(1) केन्द्रीय सरकार, कंपनी को संदाय करने के लिए आयुक्त को विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर उतनी रकम नकद देगी जो,—

(क) धारा 7 में विनिर्दिष्ट रकम के बराबर रकम है ; और

(ख) धारा 8 के अधीन कंपनी को देय रकमों के बराबर है ।

(2) केन्द्रीय सरकार भारत के लोक खाते में आयुक्त के नाम एक निक्षेप खाता खोलेगी और आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त प्रत्येक रकम उक्त निक्षेप खाते में जमा करेगा और उक्त निक्षेप खाते को चलाएगा ।

(3) आयुक्त कंपनी के ऐसे उपक्रमों की बारे में जिनके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन उसे संदाय किया गया है, अभिलेख बनाए रखेगा ।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निक्षेप खाते में जमा रकमों पर प्रोद्भूत होने वाला ब्याज कंपनी के फायदे के लिए काम आएगा ।

17. केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी की कुछ शक्तियां—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी, नियत दिन के पश्चात् वसूल किया गया कोई ऐसा धन, जो कंपनी को उसके उन उपक्रमों के संबंध में शोध्य है जो केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी में निहित हो गए हैं, अन्य सभी व्यक्तियों का अपवर्जन करके, विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त करने की हकदार, इस बात के होते हुए भी होगी कि ऐसी वसूली नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि से संबंधित है ।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी आयुक्त को ऐसे प्रत्येक संदाय के सम्बन्ध में दावा कर सकेगी जो नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में कंपनी के किसी दायित्व का उन्मोचन करने के लिए केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी ने नियत दिन के पश्चात् किया है और ऐसे प्रत्येक दावे को उन पूर्विकताओं के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी जो उस विषय को जिसके सम्बन्ध में ऐसे दायित्व का उन्मोचन केन्द्रीय सरकार या सरकारी कम्पनी ने किया है, इस अधिनियम के अधीन प्राप्त है ।

(3) इस अधिनियम में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, नियत दिन के पूर्व के किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में कंपनी के ऐसे दायित्व, जिनका विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व उन्मोचन नहीं किया गया है, कंपनी के दायित्व होंगे ।

18. आयुक्त के समक्ष दावों का किया जाना—प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कंपनी के विरुद्ध कोई दावा है, ऐसा दावा विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के अन्दर आयुक्त के समक्ष करेगा :

परन्तु यदि आयुक्त का समाधान हो जाता है कि दावेदार पर्याप्त कारण से तीस दिन की उक्त अवधि के अन्दर दावा करने से निवारित रहा था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के अन्दर दावा ग्रहण कर सकेगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं ।

19. दावों की पूर्विकता—अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों से उद्भूत होने वाले दावों को निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार पूर्विकता प्राप्त होगी, अर्थात् :—

(क) प्रवर्ग I को अन्य सभी प्रवर्गों पर अग्रता दी जाएगी और प्रवर्ग II को प्रवर्ग III पर अग्रता दी जाएगी और इसी प्रकार आगे भी ;

(ख) प्रत्येक प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावे समान पंक्ति के होंगे और उनका पूर्णत: संदाय किया जाएगा किन्तु यदि रकम ऐसे दावों को पूर्णत: चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो वे समान अनुपात में कम कर दिए जाएंगे और तद्नुसार उनका संदाय किया जाएगा ;

(ग) किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट विषय की बाबत किसी दायित्व के उन्मोचन का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब उसके ठीक उच्चतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट सभी दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अधिशेष रह जाए ।

20. दावों की परीक्षा—(1) आयुक्त, धारा 18 के अधीन किए गए दावों की प्राप्ति पर, उन्हें अनुसूची में विनिर्दिष्ट पूर्विकताओं के अनुसार क्रमबद्ध करेगा और ऐसे पूर्विकता क्रम से उनकी परीक्षा करेगा ।

(2) यदि दावों की परीक्षा करने पर आयुक्त की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उसे संदत्त रकम किसी निम्नतर प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट दावों को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे निम्नतर प्रवर्ग की बाबत दायित्वों की परीक्षा करे ।

21. दावों का स्वीकार या अस्वीकार किया जाना—(1) अनुसूची में उपवर्णित पूर्विकताओं के प्रति निर्देश से दावों की परीक्षा करने के पश्चात् आयुक्त कोई निश्चित तारीख नियत करेगा जिसको या जिससे पूर्व प्रत्येक दावेदार अपने दावे का सबूत फाइल करेगा ।

(2) इस प्रकार नियत तारीख के बारे में कम से कम चौदह दिन की सूचना अंग्रेजी भाषा के किसी दैनिक समाचारपत्र के ऐसे एक अंक में, जो देश के अधिकांश भाग में पढ़ा जाता हो, और ऐसी प्रादेशिक भाषा के किसी दैनिक समाचारपत्र के ऐसे एक अंक में, जो आयुक्त उपयुक्त समझे, विज्ञापन द्वारा दी जाएगी, और ऐसी प्रत्येक सूचना में दावेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने दावे का सबूत आयुक्त के समक्ष विज्ञापन में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर फाइल करे ।

(3) प्रत्येक दावेदार, जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर अपने दावे का सबूत फाइल करने में असफल रहता है, आयुक्त द्वारा किए जाने वाले संवितरणों से अपवर्जित कर दिया जाएगा ।

(4) आयुक्त ऐसा अन्वेषण करने के पश्चात्, जो उसकी राय में आवश्यक है, और कंपनी को दावे का खण्डन करने का अवसर देने के पश्चात् और दावेदारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् लिखित रूप में दावे को पूर्णत: या भागत: स्वीकार या अस्वीकार करेगा ।

(5) आयुक्त को अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले सभी मामलों में, जिनके अन्तर्गत वह या वे स्थान भी हैं, जहां वह अपनी बैठकें कर सकेगा, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम के अधीन कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए उसे वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन, निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक पदार्थ का, जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो, प्रकटीकरण और पेश किया जाना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

(6) आयुक्त के समक्ष कोई अन्वेषण भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

(7) कोई दावेदार, जो आयुक्त के विनिश्चय से असंतुष्ट है उस विनिश्चय के विरुद्ध अपील आरम्भिक अधिकारिता वाले उस प्रधान सिविल न्यायालय में कर सकता है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है :

परन्तु जहां किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, आयुक्त नियुक्त किया जाता है वहां अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में की जाएगी और ऐसी अपील उस उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनी और निपटाई जाएगी ।

22. आयुक्त द्वारा दावेदारों को धन का संवितरण—इस अधिनियम के अधीन दावा स्वीकार करने के पश्चात् ऐसे दावे की बाबत शोध्य रकम आयुक्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को संदत्त करेगा जिसे या जिन्हें ऐसी रकमें शोध्य हैं और ऐसा संदाय किए जाने पर कंपनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में ऐसे दावे की बाबत कंपनी के दायित्व का उन्मोचन हो जाएगा ।

23. कम्पनी को रकमों का संवितरण—(1) यदि कंपनी के उपक्रमों के सम्बन्ध में आयुक्त को संदत्त धन में से, अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट दायित्वों को चुकाने के पश्चात् कोई अतिशेष रह जाता है तो आयुक्त ऐसे अतिशेष का संवितरण कंपनी को करेगा ।

(2) जहां किसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति का कब्जा इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कंपनी में निहित हो गया है किन्तु ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति उस कंपनी की नहीं है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उस सरकारी कंपनी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी मशीनरी, उपस्कर या अन्य संपत्ति पर कब्जा उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर बनाए रखे, जिनके अधीन वे नियत दिन के ठीक पूर्व कंपनी के कब्जे में थीं ।

24. असंवितरित या दावा न की गई रकम का साधारण राजस्व खाते में जमा किया जाना—यदि आयुक्त को संदत्त कोई धन, जो उस तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को जिसको आयुक्त का पद अंतिम रूप से परिसमाप्त किया जाता है, असंवितरित या दावा किया गया नहीं रहता है, तो वह अपने पद के अंतिम रूप से परिसमापन से पूर्व उसे केन्द्रीय सरकार के साधारण राजस्व खाते को अन्तरित करेगा ; किन्तु इस प्रकार अन्तरित किसी धन के लिए कोई दावा ऐसे संदाय के हकदार व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को किया जा सकता है और उस सम्बन्ध में कार्यवाही इस प्रकार की जाएगी मानो ऐसा अन्तरण नहीं किया गया था और दावे के संदाय के लिए दिया गया आदेश, यदि कोई हो, राजस्व के प्रतिदाय के लिए किया गया आदेश माना जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

25. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में या किसी न्यायालय, अधिकरण अन्य प्राधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

26. केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी द्वारा अनुसमर्थन के अभाव में संविदाओं का प्रभावहीन हो जाना—किसी सेवा, विक्रय या प्रदाय के लिए कंपनी द्वारा अपने ऐसे उपक्रमों के सम्बन्ध में जो धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए हैं, की गई और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक संविदा, नियत दिन से एक सौ अस्सी दिन की समाप्ति से ही प्रभावहीन हो जाएगी, जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसी संविदा का केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी, जिसमें इस अधिनियम के अधीन ऐसे उपक्रम निहित हो गए हैं, लिखित रूप में, अनुसमर्थन नहीं कर देती है और केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कंपनी ऐसी संविदा का अनुसमर्थन करने में उसमें ऐसे परिवर्तन या उपान्तर कर सकेगी जो वह ठीक समझे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी किसी संविदा का अनुसमर्थन करने में लोप या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तरण तब तक नहीं करेगी जब तक कि—

(क) उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी संविदा असम्यक् रूप से दुर्भर है या असद्भावपूर्वक की गई है या केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कंपनी के लिए अहितकर है ; और

(ख) वह ऐसी संविदा के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे देती है और संविदा का अनुसमर्थन करने से इंकार करने या उसमें कोई परिवर्तन या उपान्तरण करने के अपने कारण अभिलिखित नहीं कर देती है ।

27. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—(1) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के या उस सरकार के किसी अधिकारी या अभिरक्षक या केन्द्रीय सरकार या ऐसी सरकारी कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के, विरुद्ध नहीं होगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के या सरकारी कंपनी के, या उस कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के, विरुद्ध नहीं होगी ।

28. शक्तियों का प्रत्यायोजन—(1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग, जो इस धारा या धारा 31 और धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से भिन्न हों, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन शक्ति का कोई प्रत्यायोजन किया जाता है तो वह व्यक्ति, जिसको ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है, केन्द्रीय सरकार के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

29. शास्तियां—जो कोई व्यक्ति,—

(क) कंपनी के किन्हीं उपक्रमों की भागरूप किसी संपत्ति को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में है, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी से सदोष विधारित करेगा ; या

(ख) कंपनी के उपक्रमों की भागरूप किसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा या उसे सदोष प्रतिधारित करेगा ; या

(ग) कंपनी के उपक्रमों से सम्बन्धित किसी दस्तावेज या तालिका को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी को, या उस सरकार या ऐसी सरकारी कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने से जानबूझकर विधारित करेगा या उसे देने में असफल रहेगा ; या

(घ) कंपनी के उपक्रमों से सम्बन्धित किन्हीं आस्तियों, लेखा बहियों या रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हैं, केन्द्रीय सरकार या सरकारी कंपनी को या उस सरकार या ऐसी सरकारी कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को देने में असफल रहेगा ; या

(ङ) कंपनी के उपक्रमों की भागरूप किसी सम्पत्ति को सदोष हटाएगा या नष्ट करेगा, या

(च) इस अधिनियम के अधीन ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास विश्वास करने का उचित कारण है कि वह मिथ्या या बिलकुल गलत है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

30. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी जो यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

31. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह समय, जिसके अन्दर और वह रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त द्वारा कोई सूचना दी जाएगी ;

(ख) वह प्ररूप और वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन अभिरक्षक धारा 12 के अधीन लेखा बनाए रखेगा या रखेंगे ;

(ग) वह रीति जिससे धारा 14 में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि या अन्य निधि में जमा धन की बाबत कार्रवाई की जाएगी ;

(घ) कोई अन्य विषय जिनका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

32. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

33. निरसन और व्यावृत्ति—(1) मारुति लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1980 (1980 का अध्यादेश संख्यांक 13) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनूसूची

(धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 23 देखिए)

कंपनी के दायित्वों के उन्मोचन के लिए पूर्विकता का क्रम

प्रवर्ग I—

(क) कर्मचारियों को असंदत्त वेतन, मजदूरी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा अभिदाय, भारतीय बीमा निगम से संबंधित प्रीमियम का बकाया और कर्मचारियों को शोध्य कोई अन्य रकमें ;

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों या राज्य विद्युत बोर्ड को शोध्य राजस्व, कर, उपकर, रेट या अन्य शोध्य रकमें ।

प्रवर्ग II—

भूमि की लागत मद्धे हरियाणा सरकार को शोध्य रकमें ।

प्रवर्ग III—

प्रतिभूत उधार ब्याज सहित ।

प्रवर्ग IV—

(क) जनसाधारण से या कंपनी के सदस्यों से प्राप्त निक्षेप ;

(ख) व्यौहारी कार्य मद्धे निक्षेप ;

(ग) व्यापार या विनिर्माण संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए लिया गया कोई अन्य ऋण ;

(घ) शेयर के आवेदन के साथ दिया गया धन जहां शेयर आबंटित नहीं है ।

प्रवर्ग V—

कोई अन्य शोध्य रकमें ।

———